रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एन.-अ.-15072022-237313
CG-TN-E-15072022-237313

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2022/आषाढ़ 24, 1944
No. 359] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2022/ASHADHA 24, 1944

ऑरोविल प्रतिष्ठान

अधिसूचना

तमिलनाडु, 1 जून, 2022

[स्थायी आदेश, दिनांक 1 जून, 2022 सं. 01/2022 (स्थायी आदेश दिनांक 4 जून, 2019, सं. 01/2019)]

ऑरोविल शहरी विकास परिषद का गठन

सं. एएफ/एम/63/2022–23.—चूंकि मदर ने ऑरोविल के बारे में स्वप्न लिया था कि वह एक सर्व–व्यापक ऐसा शहर होगा जो मानवीय एकता को समर्पण होगा और जहां अंतरराष्ट्रीय सूझ–बूझ होगी । उन्होंने ''अपने स्वप्न (1954) में जैसे आगे वर्णन किया गया है कि ऑरोविल चार्टर (1968) का संदेश ''सच्चे ऑरोविलियन'' (1970) बनने का है और इस संबंध में मदर के बहुत सारे संदेश और ऑरोविल के बारे में लेख प्राप्त हुए हैं;

चूंकि ऑरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 17(ड.) अधिशासी बोर्ड को शक्ति प्रदान करती है और अधिदेश देती है कि वह आवासीय सभा के साथ परामर्श करके ऑरोविल के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक शहर (टाउनशिप) का मास्टर प्लान तैयार करे (जिसे इसके पश्चात् ''ऑरोविल टाउनशिप'' कहा जाएगा) और इसका योजनाबद्ध तरीके से विकास सुनिश्चित करे ;

चूंकि शासी बोर्ड ने ऑरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 17(ड.) की शर्तों के अनुसार यूनिवर्सल टाउनशिप मास्टर प्लान (परिप्रेक्ष्य 2025) का अनुमोदन किया था जिसे इसके पश्चात् ''ऑरोविल मास्टर प्लान'' कहा जाएगा, जो कि मदर द्वारा अनुमोदित ''गैलेक्सी प्लान'' पर आधारित है ;

चूंकि ऑरोविल मास्टर प्लान का अनुमोदन भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के 12 अप्रैल, 2001 के पत्र सं. एफ.27–3/2000–यू.यू. के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया था और उसे केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से ऑरोविल प्रतिष्ठान द्वारा भारत के राजपत्र (भाग–III) में 16 अगस्त 2010 को अधिसूचित किया था ;

चूंकि ऑरोविल मास्टर प्लान ने ''शहरी विकास परिषद्'' का वर्णन ऑरोविल मास्टर प्लॉन का कार्यान्वयन करने वाले निकाय के रूप में किया है जिसका संगठनात्मक ढांचा ऑरोविल मास्टर प्लॉन के परिशिष्ट–V में है ;

चूंकि शासी बोर्ड ने ''शहरी विकास परिषद्'' का गठन विकास और ऑरोविल शहर का निर्माण करने के प्रयोजन से किया था, ऑरोविल मास्टर प्लॉन के अनुसार (जिसे इसके पश्चात् परिषद् कहा गया है) के दिनांक 01.05.2011 के स्थायी आदेश सं. 06/2011 के तहत किया गया था इसे 04.06.2019 के स्थायी आदेश सं. 01/2019 से बदला गया और चूंकि शासी बोर्ड ने परिषद् को इस स्थायी आदेश में दिए अनुसार पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है ;

अतः अब शासी बोर्ड निम्नलिखित उपबंधों के अधीन परिषद् का पुनर्गठन करता है :

1. परिषद् की सदस्यता

   1. परिषद् में शासी बोर्ड द्वारा नियुक्त सदस्यों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी ।

   2. शासी बोर्ड, सचिव, ऑरोविल प्रतिष्ठान को अपनी ओर से परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार दे सकेगा ।

   3. परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति के लिए सचिव, ऑरोविल प्रतिष्ठान समय–समय पर अध्यक्ष, ऑरोविल प्रतिष्ठान के अनुमोदन से उपयुक्त कार्यालय आदेश जारी करेंगे ।

2. कार्यालय पदाधिकारी और कार्यक्षेत्र

   1. परिषद् में एक अध्यक्ष, एक सदस्य–सचिव और एक सदस्य, वित्त और लेखा होंगे ।

   2. शासी बोर्ड, परिषद् के एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नामित करेगा जबकि सदस्य सचिव और सदस्य वित्त और लेखा परिषद् के सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे ।

   3. अध्यक्ष को छोड़कर परिषद् के सदस्य, सदस्य सचिव और सदस्य वित्त और लेखा कार्य जिसमें ऑरोविल मास्टर प्लॉन (''मास्टर प्लॉन के संगठनात्मक ढांचे'') तक परिशिष्ट–V में दिए कार्य क्षेत्रों समेत एक से अधिक क्षेत्रों की जिम्मेदारी लेंगे परंतु, उसी तक सीमित नहीं रहेंगे ।

3. कार्यकाल की अवधि

   1. सदस्य के कार्यकाल की अवधि उस कार्यालय आदेश की तारीख से चार वर्ष की होगी जिसमें सदस्य की नियुक्ति हुईं थी ।

   2. प्रत्येक चार वर्ष के कार्यकाल के समाप्त होने के 6 मास पहले परिषद् के नए सदस्य नामित किए जाएंगे और एक इंडक्शन और ट्रांजीशन प्रक्रिया तत्कालीन मौजूदा परिषद् सदस्यों के साथ प्रारंभ होगी ताकि परिवर्तन आसानी से सुनिश्चित हो सके ।

   3. शासी बोर्ड, नई उत्तरावर्ती परिषद् में मौजूदा सदस्यों को पुनर्नियुक्त कर सकता है ताकि कार्यचालन की अनवरतता सुनिश्चित की जा सके । इस स्थायी आदेश के खण्ड 3.4 के अनुसार पात्रता मानदण्डों की शर्त पर ही परिषद् के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है ।

   4. पुनर्नामित करने के लिए सदस्य अधिक–से–अधिक एक कालावधि के लिए उत्तरोत्तर अवधि में पात्र होगा और बाद में तभी नामित हो पाएगा जब अंतिम अवधि से पहले कम–से–कम एक कालावधि बीत चुकी होगी ।

4. सदस्यता समाप्ति और रिक्तियां

   1. सदस्य परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा यदि (1) वह परिषद् के कार्य से लगातार तीन महीने तक अनुपस्थित रहेगा/रहेगी ; (2) यदि वह लिखित में त्याग पत्र देगा/देगी और त्याग पत्र को शासी बोर्ड द्वारा स्वीकृति मिल चुकी होगी ; (3) यदि शासी बोर्ड पर्याप्त और समुचित कारणों से सदस्य को सदस्यता से हटा दें ।

   2. यदि किसी कारण से आकस्मिक रिक्तता हो जाए तो शासी बोर्ड शेष बची अवधि के लिए सदस्य की नियुक्ति कर सकता है ।

5. कार्य और जिम्मेदारियां :

   1. शासी बोर्ड परिषद् को इसके साथ निम्नलिखित कार्यों और जिम्मेदारियां निभाने की शक्ति प्रदान करता है :

      (क) परिषद्, ऑरोविल मास्टर प्लॉन की धारा 3.2 (2) (ड.) में यथा परिभाषित ऑरोविल मास्टर प्लॉन के कार्य–प्रचालन और कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्राधिकारी होगी ;

      (ख) यह सुनिश्चित करेगी कि ऑरोविल टाउनशिप की आयोजना, विकास और निर्माण ऑरोविल मास्टर प्लॉन के अनुसार किया जाएगा ;

      (ग) ऑरोविल टाउनशिप का समयबद्ध ढंग से निर्माण करने के लिए विस्तृत विकास योजनाएं तैयार की जाएगी) और उनका अनुमोदन किया जाएगा ;

      (घ) विकास योजना विनियमों (बिल्डिंग बॉय–लॉज़) को तैयार करना और उनका अनुमोदन करना ;

      (ड.) भवन निर्माण अनुमोदन करने की अनुमति जारी करना और कम्प्लीशन प्रमाण पत्र जारी करना ;

      (च) विकास परियोजनाएं, बजट अनुमान, योजना अनुसूचियां, कार्य–योजनाएं तथा वर्क कम्प्लीशन अनुसूचियां तैयार करना और अनुमोदित करना ;

      (छ) फण्ड्स और असैट्स मैनेजमेंट कमेटी (एफएएमसी) के साथ समन्वय करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि की चकबंदी करने सहित ऑरोविल टाउनशिप की योजना, विकास और बिल्डिंग के लिए निधि उगाहना ।

(ज) टाउन प्लानरों, अर्बन डिजाइनरों, इंजीनियरों, आर्किटेक्टों, कण्टरैक्टरों, सर्वेयरों, परामर्शियों, कानूनी सलाहकारों और अन्य ऐसे विशेषज्ञों और व्यावसायियों की ऑरोविल के भीतर और बाहर से, सेवा प्राप्त करना, जो समय–समय पर ऐसी सेवा–शर्तों पर आवश्यक हों, जिनका परिषद् द्वारा निर्णय किया जाएगा ;

(झ) ऑरोविल मास्टर प्लॉन के कार्यान्वयन में ऑरोविल निवासियों की सक्रिय और रचनात्मक भागीदार सुलभ कराना ;

(ञ) तकनीकी टीमें, वर्किंग ग्रुप, प्रोजेक्ट टीमें और अन्य संसाधन ग्रुपों को, जो आवश्यक हो, समय–समय पर गठित करना और उन सेवा–शर्तों पर गठित करना जिनका परिषद् निर्णय ले।

(ट) जहां आवश्यक हो, ऑरोविल मास्टर प्लॉन के कार्यान्वयन में सचिव, ऑरोविल प्रतिष्ठान के साथ परामर्श करके और सहयोग लेकर केंद्र, राज्य, स्थानीय या जिला सरकार के समुचित प्राधिकारियों की सहायता ली जाए ।

6. जवाबदेही और रिपोर्टिंग

1. परिषद् की शासी बोर्ड को जवाबदेही होगी और आय और व्यय विवरणियों समेत अपने कार्यकलाप का सही–सही लेखा–जोखा और कार्य की प्रगति की जब कभी भी शासी बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

2. परिषद् ऑरोविल निवासियों को तैयार की गई योजना और विकास की प्रगति से सूचित करती रहेगी ।

7. प्रक्रियाएं और पद्धतियां

1. परिषद्, शासी बोर्ड के अनुमोदन से अपनी आंतरिक कार्य–पद्धतियां निर्धारित करेगी जो हर पहलू में ऑरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम 1988 और इस स्थायी आदेश के उपबंधों के अनुरूप होनी चाहिए ।

2. परिषद्, शासी बोर्ड और कार्यकारी समिति के लिए सूचना हेतु अपनी प्रक्रिया और पद्धति मैनुअल की प्रति, संशोधनों, यदि कोई हों, सहित प्रदान करेगी ।

3. चूंकि ''एल' एवेनिर डी' ऑरोविल'' ऑरोविल टाउनशिप प्लानिंग और विकास संगठन का नाम मदर द्वारा रखा गया था, इस नाम और ''एल ऐवेनिर ''डी ऐवेनिर – ऑरोविल टाउन विकास परिषद् अभिव्यक्ति को अपने आंतरिक पत्राचार में रखे रखा जाए ।

8. सलाहकारी ग्रुप

1. शासी बोर्ड और परिषद् को ऑरोविल मास्टर प्लॉन से संबंधित काम पर नजर रखने और पुनरीक्षण करने समेत जो यहीं तक सीमित न रहकर विकास संबंधी प्रगति पर सलाह देने के लिए शासी बोर्ड एक सलाहकारी ग्रुप का गठन करेगा ।

2. स्लाहकारी ग्रुप में अधिक–से–अधिक पांच सदस्य होंगे ।

3. सलाहकारी ग्रुप के सदस्य का कार्यकाल, स्थायी आदेश की तारीख से चार वर्ष का होगा, और उस तारीख तक सदस्य नामित कर लिए जाएंगे या सचिव, ऑरोविल प्रतिष्ठान और सदस्यों के बीच कोई अन्यथा सहमति न हुई हो ।

9. संशोधन

1. शासी बोर्ड समय–समय पर किसी अथवा इस स्थायी आदेश के सभी उपबंधों का तत्काल प्रभाव से संशोधन कर सकेगा ।

यह स्थायी आदेश अध्यक्ष, ऑरोविल प्रतिष्ठान की अनुमति से जारी किया जाता है जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

जयंती एस. रवि, सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./182/2022-23]

AUROVILE FOUNDATION

NOTIFICATION

Tamil Nadu, the 1st June, 2022

[STANDING ORDER NO. 01/2022 dated 1st June 2022 (Replacing the Standing Order No. 01/2019 dated 4th June, 2019)]

Constitution of Auroville Town Development Council

No. AF/M/63/2022-23.—Whereas the Mother had envisaged Auroville as a universal township dedicated to human unity and international understanding and as further described by her in "A Dream" (1954), the Auroville Charter (1968), the message "To be a True Aurovilian" (1970) and the Mother's numerous other messages and writings on Auroville;

Whereas section 17(e) of the Auroville Foundation Act, empowers and mandates the Governing Board to prepare, in consultation with the Residents' Assembly, the Master Plan for the international cultural township of Auroville (hereinafter referred to as "the Auroville Township") and ensure its development as so planned;

Whereas the Governing Board, in terms of Section 17(e) of the Auroville Foundation Act approved the Auroville Universal Township Master Plan (Perspective 2025), hereinafter referred to as "the Auroville Master Plan", which is based on the "Galaxy Plan", which was approved by the Mother;

Whereas the Auroville Master Plan was approved by the Central Government, vide Government of India, Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) letter No.F.27-3/2000-UU dated 12th April 2001, and was notified by Auroville Foundation, with the approval of the Central Government, in the Gazette of India (Part III) on 16thAugust 2010;

Whereas the Auroville Master Plan prescribes the "Town Development Council" as the body for implementing the Auroville Master Plan with an organisational structure as in Appendix V of the Auroville Master Plan;

Whereas the Governing Board constituted the "Town Development Council" for the purpose of planning, developing and building of the Auroville Township in accordance with the Auroville Master Plan (hereinafter referred to as the "Council") vide Standing Order 06/2011 dated 01-05-2011, which was replaced with Standing Order 01/2019 dated 04-06-2019 and

Whereas the Governing Board has decided to reconstitute the Council as provided for in this Standing Order;

Now therefore the Governing Board re-constitutes the Council subject to the following provisions:

1. Council Membership

1. The Council shall consist of not more than ten members to be appointed by the Governing Board
2. The Governing Board may authorise the Secretary, Auroville Foundation to appoint Council members on its behalf.
3. For the appointment of members of the Council, Secretary, Auroville Foundation shall issue suitable Office Orders from time to time with the approval of Chairman, Auroville Foundation.

2. Office Bearers and Work Areas

1. The Council will have one Chairperson, one Member- Secretary and one Member- Finance & Accounts.
2. The Governing Board shall nominate one Council member as the Chairman while the Member-Secretary and Member-Finance & Accounts will be elected by the Council members from amongst themselves.
3. Council members other than the Chairperson, the Member-Secretary and the Member-Finance & Accounts shall take responsibility for one or more work areas including, but not limited to, the work areas as given in Appendix V of the Auroville Master Plan ("Organisational Structure for Master Plan").

3. Term of Office

1. The term of office of a member shall be four years from the date of the Office Order by which member appointments are made.
2. Not later than six months before the expiry of each four-year term, the new members of the Council will be nominated and will commence an induction and transition process with the then existing Council members to ensure a smooth transition.
3. The Governing Board may re-appoint existing members to the new succeeding Council, so as to ensure continuity of work. The re-appointment of council members will be subject to the eligibility criterion as per clause 3.4. of this Standing Order.
4. A member shall be eligible for re-nomination for a maximum of one term in succession and for subsequent nomination after a lapse of at least one term from the last one.

4. Cessation of Membership and Vacancies

1. A member shall cease to be on the Council: (1) if he/she is continuously absent from Council work for more than three months; (2) if he/she resigns in writing and the resignation is accepted by the Governing Board; (3) if the Governing Board for good and sufficient reasons removes a member.

2. If a casual vacancy is caused for any reason, the Governing Board may appoint a member for the remaining period of the term.

5. Functions and Responsibilities:

1. The Governing Board herewith empowers the Council, with the following functions and responsibilities:

   (a) To be the Prescribed Authority for the operation and implementation of the Auroville Master Plan as defined in section 3.2(2)(e) of the Auroville Master Plan;

   (b) Ensure that the Auroville Township is planned, developed and built according to the Auroville Master Plan;

   (c) Prepare and approve Detailed Development Plans for building the Auroville Township in a time bound manner;

   (d) Prepare and approve development plan regulations (building by-laws);

   (e) Issue building permissions and completion certificates;

   (f) Prepare and approve development projects, budgets, estimates, planning schedules, work plans and work completion schedules;

   (g) Raise funds for the planning, developing and building of the Auroville Township including the consolidation of land required for the purpose in coordination with the Funds and Assets Management Committee (FAMC);

   (h) Secure the services of town planners, urban designers, engineers, architects, contractors, surveyors, consultants, legal advisors, and such other experts and professionals from within and outside Auroville as may be necessary from time to time and on such terms and conditions as may be decided by the Council;

   (i) Facilitate active and constructive participation of Auroville residents in the implementation of the Auroville Master Plan;

   (j) Constitute technical teams, working groups, project teams and other resource groups as may be necessary from time to time on such terms and conditions as may be decided by the Council;

   (k) Secure, where necessary, the support from the appropriate central, state, local or district government authorities for the implementation of the Auroville Master Plan in consultation and cooperation with the Secretary, Auroville Foundation;

6. Accountability and Reporting

1. The Council shall be accountable to the Governing Board and shall submit to it a true account of its activities, including income and expenditure statements and work progress reports as and when required by the Governing Board.

2. The Council shall keep the Auroville residents informed of planning and development progress being made.

7. Processes and Procedures

1. The Council shall determine, with the approval of the Governing Board its internal working procedures, which shall in all respects be consistent with the Auroville Foundation Act, 1988, the Auroville Foundation Rules and the provisions of this Standing Order.

2. The Council shall provide a copy of its processes and procedures manual and revisions, if any, thereof to the Governing Board and the Working Committee for information.

3. Since the name "*L'avenir d'Auroville*" was given by the Mother for the Auroville Township planning and development organisation, the Council may retain this name and use the expression "*L'avenir d'Auroville* – Auroville Town Development Council" in Auroville internal communications.

8. Advisory Group

1. The Governing Board may constitute an Advisory Group to advise the Governing Board and the Council on matters relating to the Auroville Master Plan, including, but not limited to the monitoring and reviewing of planning and development progress.

2. The Advisory Group will have a maximum of five members.

9. The term of office of a member of the Advisory Group shall be four years from the date of the Office Order by which the member is nominated or as otherwise agreed between the Secretary, Auroville Foundation and the members.

10. Amendments

1. The Governing Board may amend, from time to time, any or all of the provisions of this Standing Order.

This Standing Order is issued with the approval of Chairman, Auroville Foundation and shall come into force with immediate effect.

JAYANTI S. RAVI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./182/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.07.15 23:07:31 +05'30'